न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — रामचरण शर्मा, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 75/अपील/18 — तारीख दायरा 08.06.18

1. मोहनलाल आ0 रतनलाल जाति कहार निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़
2. भवानीशंकर आ0 रतनलाल जाति कहार निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़

अपीलान्टस.....

बनाम

1. गोपाल आ0 दुर्गालाल जाति कहार निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़
2. नाराण आ0 दुर्गालाल जाति कहार निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़
3. मनोज आ0 दुर्गालाल जाति कहार निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़
4. तहसीलदार तहसील अकलेरा

रेस्पोडेन्टस....

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बनाराजी निर्णय दिनांक 05.06.18 तहसीलदार अकलेरा

उपस्थितः— श्री बद्रीलाल माहेश्वरी वकील अपीलान्टस

श्री बच्चूलाल वकील रेस्पोडेन्टस

—:: निर्णय ::— दिनांकः 30.01.2019

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ये विद्वान अभिभाषक, तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 05.06.18 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने तहसीलदार अकलेरा के न्यायालय में 11.10.17 को प्रा0पत्र पेश किया जिसमें अपीलान्टस के खाते की आराजी ख0न0 263 एवं 291 की दक्षिण से उत्तर दिशा में पूर्व की तरफ मेड पर 569 फीट लम्बा एवं 15 फीट चौड़ा रास्ता अपीलान्टस के द्वारा बन्द करना बताया अपीलान्टस ने इस प्रा0पत्र का जवाब दिनांक 22.12.17 को पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो0 का ख0न0 265 व 291 में कोई रास्ता कभी नही रहा है एवं रेस्पो0 ने कानूनगो व पटवारी हल्का से गलत तौर से एक तरफा मौका रिपोर्ट बनवा ली है जो 15.10.17 को बनवाई है जबकि इस प्रकरण का दायरा दिनांक 16.11.17 को हुआ है—प्रार्थना पत्र के दायर किए जाने से पहले ही दिनांक 15.10.17 को कानूनगो तथा पटवारी हल्का से मिलकर एक तरफा मौका रिपोर्ट हॉसिल की जिसके आधार पर मातहत न्यायालय ने विधि विरूद्व रेस्पो0 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया जो मनमाना परवर्स है केप्रिसियश है विधि विरूद्व है एवं अपास्त होने योग्य है—माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आई साक्ष्य का कानून सम्मत विवेचन नही किया है जिस कारण निर्णय स्पीकिंग नही है—रेस्पो0 के खाते की आराजी ख0न0 292 में जाने का आने का रास्ता बैलगाड़ी वगैराह का हमेशा से ख0न0 294 में होकर रहा है, अपीलान्टस की आराजी में से कभी भी रास्ता नही रहा है—अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जो 560 फीट लम्बा एवं 15 फीट चौड़ा रास्ता निर्णित किया है, उससे अपीलान्टस को ऐसा नुकसान होगा जिसका अंकन व पूर्ति द्रव्य में नही हो सकती है। अतः अपील स्वीकर फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.18 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टस की सहायता फरमाई जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जर्ये सम्मन तलब किया गया—रेस्पोडेन्टस की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री बच्चूलाल द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया । वकील उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई—विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस द्वारा अपनी लिखित बहस में अनुरोध किया गया कि रेस्पोडेन्टस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रा0पत्र पेश किया गया था उसमें उन्होंने रास्ता रोकने बाबत प्लीडिंग नही की एवं कब रास्ता रोका यह भी दर्ज नही किया—रेस्पोडेन्टस ख0न0 265 व 291 की आराजी पर नया रास्ता कायम करना चाहते है—रेस्पोडेन्टस का ख0न0 292 की आराजी में ख0न0 290 की पूर्व की ओर बने सीमेन्ट रोड़ जो 15 फीट चौड़ा है उस पर होते हुए ख0न0 294 में होते हुए अपीलान्टस के खाते की ख0न0 293, 292 में बताया, जो नक्शा प्रदर्शि—1 प्रदर्शित हुआ

अति० कलक्टर एवं
से० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

(1)

P.T.O.

है उसमें रेस्पो0 ने रास्ता 267,966,965 के दक्षिण में जिसके नीचे ख0न0 268,269,260 की भूमि है उसमें होता हुआ ख0न0 265, 264 की पूर्वी मेड पर होता हुआ उनके खाते के ख0न0 292 पर पहूँचने का बताया जो गलत है–जबकि ख0न0 268,269,260 वगै0 के दक्षिण में अकलेरा से छीपाबडोद डामर रोड स्थित होना तहसीलदार सा0 द्वारा नक्शा 23.10.18 बताया गया था, अपीलान्टस द्वारा निवेदन पर दूसरी रिपोर्ट मांगी गई जिसके साथ नक्शे में यह रास्ता बताया गया कि ख0न0 290 के पूर्व में 15 फीट चौड़ा दक्षिण से उत्तर तक सीमेंट रोड स्थित है एवं रेस्पो0 उनके खाते की आराजी को अकलेरा से छीपाबड़ोद डामर रोड़ तथा उससे उत्तर की ओर जो 15 फीट चौडा सीमेंट रोड़ हे उस पर होकर अपीलान्टस के खातेदारी के ख0न0 293 में होते हुए रेस्पो0 उनके खातेदारी ख0न0 292 में पहूँचते है–निर्णय जेर अपील दिनांक 05.06.18 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मानीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपीलान्टस के रिविजन को स्वीकार करते हुवे निर्णय दिनांक 28.02.18 से अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को विधिवत सुनवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसका वर्णन निर्णय के प्रारम्भ में करना चाहिया था–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 560 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा जो रास्ता खुलासा करवाये जाने का आदेश दिया है वो कानून के खिलाफ है, अधीनस्थ न्यायालय केवल रास्ते की रूकावट को हटा सकती है न कि नया रास्ता दे सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उनके न्याय क्षैत्र के खिलाफ विधि विरूद्व जो निर्णय पारित किया है उसको निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी लिखित बहस में अनुरोध किया गया कि अपीलान्ट द्वारा इस दुर्भावना से अपील पेश की है कि यदि रेस्पो0 का अपने खाते की आराजी पर जाने का रास्ता रोक दिया तो रेस्पो0 को मजबूर होकर आराजी अपीलान्ट को ही बेचान करना पड़ेगी–रेस्पो0 रास्ता खुलासा कराने के बाद से आज तक निरन्तर बिना किसी रूकावट के रास्ते से अपने खाते की आराजीयात पर जाकर कृषि कार्य कर रहे है–अतः अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस का अवलोकन किया प्रचलित विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में मनन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को धारा 251 राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों के तहत निर्णय पारित किया है, जिसमें ख0न0 265 व 291 में रास्ता पूर्व से कायम व प्रचलित होना अंकित करते हुए 560 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा रास्ता खुलासा का आदेश दिया गया है, जबकि उक्त दोनो ही खसरा नम्बरान मोहन लाल की खातेदारी में दर्ज है–चूंकि उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन नही है, खातेदारी भूमि से रास्ता दिये जाने के प्रावधान राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251ए में प्रावधित है, अतःपत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्वतः स्पष्ट है कि प्रकरण के तथ्य राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा-251-'ए 'के प्रावधानों के अन्तर्गत सुस्थापित विधिक प्रकिया द्वारा न्यायहित में निर्णित किये जाने योग्य है, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार भी उपखण्ड अधिकारी में निहित है, प्रकरण, धारा-251ए' के प्रावधानों में निहित विधिक प्रकिया के तहत किया जाना विधिवत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 05.06.18 अपास्त कर निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अकलेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट-1955 की धारा-251ए के प्रावधानों के अन्तर्गत उभय पक्ष को पुनः सुनवाई का समुचित एवं युक्तियुत अवसर प्रदान कर, विधिक प्रकिया के तहत राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा-251ए के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रावधित विधिक प्रकिया के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करें। निर्णय प्रथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की प्रति नियमानुसार पालनार्थ भूमिधारी तहसीलदार को प्रेषित हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

30/01/19

अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़